समाहरणालय, खगड़िया

बिहार सरकार

ई–मेल :– adm.rev.khagaria@gmail.com बेवसाईट :– khagaria.nic.in

जिला राजस्व शाखा

(अल्पकालीन आम सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खगड़िया जिलान्तर्गत स्तम्भ 'क' एवं 'ख' में वर्णित अप्रैल सिरीज के निम्नांकित अंचलों में पड़ने वाले बस स्टैण्ड (अन्तर जिला सैरातों) की बन्दोवस्ती वर्ष 2020–21 (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) के लिए खुली डाक से की जानी है। सैरात बन्दोवस्ती राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी। सभी सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु अगर प्रथम तिथि को नहीं हो पाती है तो उक्त परिस्थिति में उक्त सैरातों की बन्दोवस्ती अनुवर्ती तिथि भी निर्धारित की गई है, जो स्तम्भ 'क' एवं 'ख' के कॉलम संख्या–06 में अंकित है :–

स्तम्भ– 'क'

क0 सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति राशि (सुरक्षित जमा का 10%)	बन्दोबस्ती की तिथि अनुवर्त्ती तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
2	अलौली	अलौली बस पड़ाव	12,89,150=00	1,28,915=00	तिथिः– 27.03.2020 अनुवर्ती तिथिः– 30.03.2020, 03.04.2020 समय :– 03 बजे अपराह्न

स्तम्भ– 'ख'

क0 सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति राशि (सुरक्षित जमा का 10%)	बन्दोबस्ती की तिथि अनुवर्त्ती तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
2	परबत्ता	अगुवानी बस पड़ाव	1,64,912=00	16,491=00	तिथिः– 27.03.2020 अनुवर्ती तिथिः– 30.03.2020, 03.04.2020 समय :– 03 बजे अपराह्न

स्तम्भ "क" में वर्णित सैरातों की बन्दोबस्ती समाहर्त्ता, खगड़िया, स्तम्भ "ख" में वर्णित सैरातों की बंदोबस्ती अपर समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में की जायेगी में की जायेगी।

शर्त्ते

1. बन्दोबस्ती के पूर्व बन्दोबस्ती में भाग लेने के डाक वक्ता को जिला नजारत में प्रतिभूति राशि स्तम्भ 'क' एवं 'ख' की कॉलम 05 में दी गई विवरणी के अनुसार जमा करनी होगी। बन्दोबस्ती में असफल व्यक्ति को बन्दोबस्ती के बाद प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जायेगी।
2. बन्दोबस्ती में वैसे व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकाएदार नहीं होगें।
3. इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से अपने आचरण एवं पूर्वकृत के संबंध में एक प्रमाण–पत्र, एवं पहचान पत्र आवासीय पता सहित प्रस्तुत करेंगें।
4. बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले को किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
5. बन्दोबस्तदार को बन्दोबस्ती की राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा एवं शेष राशि बन्दोबस्ती की अवधि के प्रथम तीन माह के अन्दर जमा करना होगा।
6. बस स्टैंड की बन्दोबस्ती वर्त्तमान में स्थित बस स्टैंड की जितनी जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जायेगी और ग्राउन्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अंदर ही की जायेगी।
7. बस स्टैंड की जमीन को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा बस स्टैंड की साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था बन्दोबस्तधारी को ही अपने व्यय पर करना होगा और सैरात स्थल पर कोई भी राजनीतिक सभा बिना अनुमति के आयोजित नहीं की जायेगी।
8. बस स्टैंड की जमीन पर किसी भी प्रकार का निजी स्थाई संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना बन्दोबस्तधारी की जिम्मेदारी होगी।

9. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा बस स्टैंड में अस्थाई/स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। इसकी पूर्ण जबावदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
10. किसी भी बस स्टैंड संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
11. सैरातों के रेंट की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा वसूली हेतु स्वयं द्वारा छपाई गयी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेगें। रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना, चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा बंदोवस्तधारी को ही करनी होगी।
12. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में बंदोवस्तधारी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे सैरात स्थल की साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेगें। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
13. डाक होने की स्थिति में डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं मुद्रांक/निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करनी होगी अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
14. डाक समाप्ति के पश्चात् असफल डाक वक्ता को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।
15. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोबस्ती अस्वीकृत करने अथवा सैरातों की निलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक–................../रा0, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक......................../रा0, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

ज्ञापांक–................../रा0, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ 5 प्रति में सूचनार्थ प्रेशित। अनुरोध है कि इस अल्पकालीन आम सूचना का प्रकाशन कम से कम दो हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों मे निश्चित् रूप से **दिनांक–25.03.2020** के पूर्व प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक–................../रा0, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य माध्यम से बन्दोवस्ती संबंधी अल्पकालीन आम सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे ।

समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक–................../रा0, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया/गोगरी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक–................../रा0, दिनांक

प्रतिलिपिः– नजारत उप समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक–727/रा0, दिनांक :– 19/3/20

प्रतिलिपि :– जिला सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश है कि उपरोक्त सैरात संबंधी अल्पकालीन आम सूचना जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

19/3/20
समाहर्त्ता,
खगड़िया ।